(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 318/I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला दतिया प्रकरण क्रमांक 01/ब-23/2014-15 अपील

नथुआ पुत्र श्री भज्जू गडरिया
निवासी -ग्राम नुनवाहा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
-- आवेदक

विरूद्ध

1- बेताल सिंह पुत्र श्री हल्कू आदिवासी
निवासी- ग्राम नुनवाहा तहसील व जिला - दतिया (म.प्र.)
2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)
3- तुलसी पुत्र श्री खुमना आदिवासी
निवासी - ग्राम कटीली तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
-- अनावेदकगण

श्री डी.आर.राहुल अभिभाषक आवेदक
श्री एस.के.श्रीवास्तव अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
श्री अनिल श्रीवास्तव सूची अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2
श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 3

आदेश

(आज दिनांक 10../06/2016)

यह पुनरीक्षण आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 1/ब-23/2014-15 अपील में

पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम नुनवहा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक जिसका बंदोबस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 643/4 रकवा 12.95/5.240 वर्ष 1982-85 तक अनावेदक एवं आवेदक नथुआ पुत्र भज्जू गडरिया निवासी ग्राम नुनवाहा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। नथुआ वर्ष 1985-89 के दौरान नायब तहसीलदार करैरा के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजियो के बंदौबस्त पश्चात् नवीन सर्वे नं. 944, 949, 947 में से 944, 949 पर अनावेदक के स्थान पर स्वंय के नाम पर अभिलेख दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण क्रमांक 7/86-87/अ-6-अ पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 09.06.1986 पारित कर सर्वे क्रमांक 944,949 पर आवेदक नथुआ का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा वर्ष 1993-94 में सर्वे क्रमांक 944 जिस पर आवेदक का नाम दर्ज था को प्रकरण क्रमांक 2/90-91/अ-5 आदेश दिनांक 31.12.1991 से स्वंय के नाम दर्ज करा लिया उक्त प्रकरण की जानकारी नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक को नहीं दी गयी अनावेदक को दिनांक 27.08.2008 को उक्त तथ्य की जानकारी आवेदक द्वारा अनावेदक को विवादित आराजी पर कृषि करने से रोके जाने के समय प्राप्त होने पर अनावेदक द्वारा विवादित आराजी के खसरे की प्रतिलिपी हेतु आवदेन पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिलिपी प्राप्त होने पर अपील अपर कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष प्रकरण क्रमांक 01/ब-23/2014-15 प्रस्तुत की गयी। जो

पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश निरस्त किये गये और पूर्व की भांति बन्दोबस्त पश्चात् निर्मित सर्वे नं. 944 रकवा 1.07 है0, सर्वे क्रमांक 949 रकवा 1.41 है0 पर आवेदक नथुआ एवं सर्वे क्रमांक 947 रकवा 2.76 है0 पर अनावेदक बेताल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी।

4- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है, कि ग्राम नुनवाहा में स्थित विवादित आराजी बंदौबस्त के बाद नवीन सर्वे नं. में दोनो आवेदक एवं अनावेदक को मौके पर कायम कब्जे के विपरीत नवीन सर्वे नं. में नामांन्तरण कर दिया गया जिसकी जानकारी आवेदक को वर्ष 1985 में हुयी तब आवेदक द्वारा त्रुटि को सुधारने हेतु नायब तहसीलदार के यहॉ आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 1/86-87/अ-6-अ के रूप में दर्ज हुआ और विधिवत् इस्तहार प्रकाशित कर दोनो पक्षकारो की उपस्थिति में सहमति के आधार पर उक्त नामान्तरण को परिवर्तित कर मौके की स्थिति के अनुसार सर्वे नं. 944 व 949 पर आवेदक का नामान्तरण होकर कब्जा दिनांक हुआ एवं सर्वे नं. 947 पर अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण इन्द्राज किया गया। वर्ष 1993-94 में सर्वे नं. 944 पर पुर्व के आदेश के अनुशरण में खसरा दुरूस्ती हेतु प्रकरण दर्ज कराकर 2/90-91/अ-5 में पारित आदेश दिनांक 31.12.1991 से पूर्व के आदेश के अनुसार खसरे में दुरूस्ती अमल दर्ज करायी गयी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2000-01 दर्ज की जाकर राजीनाम के अनुसार अपील समाप्त की

गयी। वर्ष 2002 के अन्तिम आदेश के अनुसार दोनो पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर कायम रहे इसी अनुक्रम में वर्ष 2014 जुलाई में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि सर्वे नं. 949 में से रकवा 1.41 है0 तुलसी आदिवासी को पंजीकृत विक्रय विलेख अन्तरित कर दी गयी। अनावेदक की भूमि के नजदीक से हाईवे निकलने पर उसके मन में बदयंती आने से एक आवेदन अपील के रूप में कलेक्टर को प्रस्तुत किया जो पंजीबद्व किया जाकर आदेश दिनांक 09.01.2015 से निराकृत किया गया अंपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण को विधिवत् रूप से समझे बिना उसे धारा 165(6) व 170 (ख) व 170 (ख) का माना गया है। जबकि वर्तमान प्रकरण उपरोक्त धाराओ का नहीं है सहिता की धारा 165 (6) एवं 170 (क) व (ख) में सुनवाई किये जाने का अधिकार केवल अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे यह भी बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उसमें उभय पक्षों के मध्य राजीनामा के आधार पर समाप्त की गयी थी ऐसी स्थिति में भी अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष की गयी अपील प्रचलन योग्य ही नहीं थी क्यों कि सहमति से पारित आदेश के विरूद्व अपील प्रचलन योग्य नहीं है इन समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है अतः उनका आदेश अपास्त कर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवदेन किया गया।

5– अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है, कि

वर्तमान प्रकरण में विधिवत् जॉच की जाकर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक क्रमांक 2 म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में अपर कलेक्टर जिला दतिया के आदेश को सही बताया है,

6– अनावेदक क्रमांक 3 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि विवादित भूमि उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है किन्तु माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना राजीनामा किया गया था वह वैधानिक नहीं था और ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा को समाप्त कर प्रकरण सुनवाई में लिया इस प्रकरण में संहिता की धारा 170 (क) (ख) के प्रावधान लागू होते है और इसी आधार पर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने के साथ–साथ वर्तमान निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

7– मैने उभय पक्षों के अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार किया गया निम्न न्यायालयो के अभिलेखों एवं आदेशो का अध्ययन किया प्रस्तुत प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम नुनंवाहा में स्थित आराजी जिसका बंदौबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 643/4 रकवा 5.240 है0 वर्ष 1977–78 से वर्ष 1981–82 तक आवेदक एवं अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी बन्दौबस्त पश्चात् नवीन सर्वे क्रमांक 944 रकवा 1.07 है0 एवं सर्वे क्रमांक 949 रकवा 1.41

है0 आवेदक नथुआ एवं सर्वे क्रमांक 947 रकवा 2.76 है0 अनावेदक बेताल के न्नाम निर्मित किये गये आवेदक द्वारा वर्ष 1985-86 में नायब तहसीलदार करैरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजी के बंदौबस्त पश्चात् निर्मित नवीन सर्वे नं. 944, 949, 947 में से 944 रकवा 1.07 है0 एवं सर्वे क्रमांक 949 रकवा 1.41 है0 पर आवेदक के स्थान पर अनावेदक बेताल का नाम एवं सर्वे क्रमांक 947 रकवा 2.76 है0 पर अनावेदक बेताल के स्थान पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/86-87/अ-6-अ आदेश दिनांक 09.06. 1986 पारित कर सर्वे क्रमांक 944 रकवा 1.07 है0 एवं सर्वे क्रमांक 949 रकवा 1.41 है0 पर बेताल का नाम तथा सर्वे क्रमांक 947 रकवा 2.76 है0 पर नथुआ का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा वर्ष 1993-94 में सर्वे क्रमांक 944 रकवा 1.07 है0 जिसपर बेताल का नाम दर्ज था को प्रकरण क्रमांक 2/90-91/5 आदेश दिनांक 31.12.1991 से अपने भाई भमरा पुत्र मल्थुआ गडरिया का नाम दर्ज करा लिया गया उक्त आदेश की जानकारी होने पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 73/2000-01 प्रस्तुत की गयी जिसमे आपसी राजीनामा होने से 26.11.2002 को समाप्त की गयी अनावेदक को उपरोक्त आदेशो की जानकारी होने पर कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें मुख्य बिन्दु यह था कि 170 क में प्रावधानो के अनुसार अनुसूचित जनजाति के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का नामान्तरण हो जाने पर उपखण्ड अधिकारी

द्वारा स्वप्रेरणा से जॉच की जा सकेगी। वर्तमान प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन न करते हुये यहॉ तक कि प्रकरण का शीर्ष को दर्ज भी नहीं किया गया है बल्कि आपसी समझौता के आधार पर आदेश दिनांक 26.11.2002 पारित किया है जो विधिवत् एवं उचित नहीं है। शासन द्वारा निर्धारित आदिवासी व्यक्तियों के संरक्षण किये जाने संबंधी निर्देशों की अवहेलना करते हुये आदिवासी व्यक्तियों के हितो को प्रभावित किया है। नायब तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रकरण में अवैध कार्यवाही की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को 170 (क) (ख) में दर्ज नहीं किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा की गयी कार्यवाही को अपास्त कर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाकर अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/ब–23/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर